

1269/17



सत्यमेव जयते

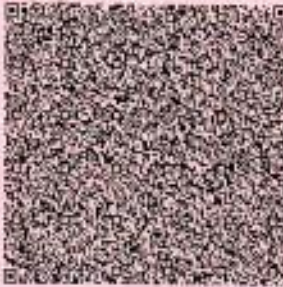
INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP02782226953692P
Certificate Issued Date : 09-Jan-2017 02:24 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0103335765280218P
Purchased by : NGK INFRAVENTURES PVT LTD
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : 16/COM-13, NEAR TRAUMA CENTER, SECTOR-16, VRINDAVAN
YOJANA, LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) : 2,91,80,918
(Two Crore Ninety One Lakh Eighty Thousand Nine Hundred And
Eighteen only)
First Party : UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party : NGK INFRAVENTURES PVT LTD
Stamp Duty Paid By : NGK INFRAVENTURES PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 20,42,700
(Twenty Lakh Forty Two Thousand Seven Hundred only)



-----Please write or type below this line-----



आवंटी

Signature



सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

VO 0005312994

1. The e-Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as
available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शिलशिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					<i>[Signature]</i> क्रेता / प्रस्तुतकर्ता भैरव लाल जी. के. इ. इ. वि. चर्च प्र. लि. निवासी-एन. सी. के. इ. इ. वि. चर्च प्र. लि. 2001/21 ए. पी. 016	 आवट।
12					सम्पत्ति प्रबंधक वृन्दावन योजना विकास युवा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन योजना, रायवरेली रोड, लखनऊ	 सम्पत्ति प्रबंधक वृन्दावन योजना, लखनऊ
					<i>[Signature]</i> उमेश प्रताप सिंह A-38/24 सुलभ अलिप्त, से-1 गोलमती रोड विस्तार लखनऊ	
					<i>[Signature]</i> अशोक शर्मा ए. ए. ए. के. ए. के. के. इ. इ. वि. चर्च प्र. लि.	



आई एस ओ प्रमाणित संस्था

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-९, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या.....

/सं०प्र० वृन्दावन योजना

दिनांक.....

भेजने वाले - श्री. के. इन्फो-यर्स जर्नल
पिनाली - एन. जी. के. इन्फो-यर्स जर्नल २०१/२१८
-२१/१६

विषय : भवन/भूखण्ड संख्या 16/COM-13 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित भवन/भूखण्ड संख्या 16/COM-13 के विक्रय विलेख/किराया क्रय विलेख रु० २०,५२,७०० के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि एक रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन की को अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भवन/भूखण्ड का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा कब्जा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

सम्पत्ति प्रबंधक
कृते आवास/अनुवृत्त

सं० ५९९ /उत्तर/

तद दिनांक ०१/२/१७

प्रतिलिपि : सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबंधक
कृते आवास/अनुवृत्त



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



Umesh Pratap Singh

उमेश प्रताप सिंह

जन्म तिथि/DOB:

07-07-1977

पुरुष / MALE



7816 2869 8487

प्रमाण - आम आदमी का अधिकार

~~उमेश~~ 1792430851



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता

S/O Smt. Samahar Singh, A38/24, गुप्त
नगर, सेक्टर 1, गोमती नगर विस्तार,
गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.
फोन: 226010

Address:

S/O Samahar Singh, A38/24,
Gomati Nagar, Sector 1, Gomati Nagar
Extension, Gomtinagar, Lucknow,
Uttar Pradesh-226010



1847
1800 303 1847

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1847,
Bengaluru-560 021

UNION OF INDIA Driving Licence

(UP) (NT)

UP32-20059020767



मिति मिति से मिति
Date of Issue
22/10/2005
मिति मिति से मिति
Date of Birth
01/04/1987

मिति मिति से मिति
Date of Validity
21/10/2025
मिति मिति से मिति
Date of Birth
Unknown



मिति मिति से मिति

GAURAV DEEP SINGH

मिति मिति से मिति / Son/Daughter/Wife of

GURBACHAN SINGH

Gaurav Deep Singh
9935541056

UP32 20054020767

UP32-20054020767



LMV
0/2005



MCWG
22/10/2005



(UP)

मिति मिति से मिति

4 C.B. SINGAR NAGAR
LAMBAGH
LUCKNOW - 226005

Holder's Signature

मिति मिति से मिति / Issuing Authority Sign
Lucknow



भारत सरकार
Unique Identification Authority of India

भारतीय अर्थ / Enrollment No: 100100102129

नाम
गुलम मोहन
Gulam Mohan
R/O Darga
44/141
Majdara police station - Uthra
Rajmohi road, Lucknow
UTHRANCHAL
Lucknow
Uttar Pradesh 226025
848261482

सं. 401 170 1200000 1200000

4789 3222 6394
UD0054323791

आपका आधार संख्या / Your Aadhaar No.

4789 3222 6394

आधार - आम आदमी का अधिकार



नाम
गुलम मोहन
Gulam Mohan
सं. 401 170 1200000 1200000
पुन / Male

4789 3222 6394

आधार - आम आदमी का अधिकार

Shirley
Jeyaraj
770503553

Form 26QB

Your E-tax Acknowledgement Number is AD4618202

- The Acknowledgement No. generated will be valid only if the taxpayer makes a payment at Bank's site. Taxpayers are advised to save above Acknowledgement No. for downloading Form 16B from TRACES website.
- As communicated by Income Tax Department, TDS certificate (Form 16B) will be available for download from the TRACES website after atleast 2 days of deposit of tax amount at the respective Bank.
- The TDS amount as per Form 26QB should be entered in the field 'Basic Tax' (Income Tax) on the Bank's web-portal as TDS certificate (Form 16B) will be based on 'Basic Tax' (Income Tax) only.
- If Date of deduction is greater than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of deduction is less than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of furnishing Form 26QB is beyond prescribed due date, the same may attract late filing fee u/s 234E.

Tax Applicable	0020	Assessment Year	2017-18
Minor Head Code	800	Financial Year	2016-17
Permanent Account No. (PAN) of Transferee (Payer/Buyer)	AAECN8857F	Permanent Account No. (PAN) of Transferor (Payee/Seller)	AAAJU0103A
Full Name of the Transferee	N.G.K. INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED	Full Name of the Transferor	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Category of Transferee on the basis of PAN	Company	Category of Transferor on the basis of PAN	Artificial Juridical Person
Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN	Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN

Complete Address of the Property Transferee

Name of premises/Building/ Village RAULI KHALILABAD
 Flat/Door/Block No. SECTOR 11 B R B ROAD
 Road/Street/Lane VRINDAVAN YOJNA
 City/District LUCKNOW
 State UTTAR PRADESH
 Pin Code 226024
 Email ID AD.VISHVAJEET.LKO@GMAIL.COM
 Mobile No. 9838789388

Complete Address of the Property Transferor

Name of premises/Building/ Village UP AVAS AWAM VIKAS PARISH
 Flat/Door/Block No. OFFICE COMPLEX
 Road/Street/Lane VRINDAVAN YOJNA
 City/District LUCKNOW
 State UTTAR PRADESH
 Pin Code 226024
 Email ID
 Mobile No.

Date of Agreement/Booking 29/03/2016
 Date of Payment/Credit 21/07/2016
 Date of Tax Deduction 21/07/2016

Whether more than one Transferee/Buyer No
 Whether more than one Transferor/Seller No
 Payment Type Installments

Complete Address of the Property Transferred

Type of Property Land
 Name of premises/Building/ Village SECTOR 16/COM
 Flat/Door/Block No.
 Road/Street/Lane VRINDAVAN YOJNA
 City/District LUCKNOW
 State UTTAR PRADESH
 Pin Code 226024

Tax Deposit Details

Rate (in %) 1
 Total Amount Paid/Credited 5838254
 TDS Amount to be paid 58383
 Interest 1751
 Fee 0
 Total payment 60134.00
 Value in words Sixty Thousand One Hundred and Thirty Four Rupees and paise

Total Value of Consideration (Property Value) 5838254
 Mode of Payment Online
 Bank Name ICICI Bank

Note: This Acknowledgment is only for the information regarding TDS on Sale of Property submitted to Tax Information Centre (TIC). This cannot be construed as proof of payment of taxes.

सम्पत्ति प्रबंधक

वृन्दावन योजना, लखनऊ

आवंटी

Form 26QB

Your E-tax Acknowledgement Number is AD7144653

- The Acknowledgement No. generated will be valid only if the taxpayer makes a payment at Bank's site. Taxpayers are advised to save above Acknowledgement No. for downloading Form 16B from TRACES website.
- As communicated by Income Tax Department, TDS certificate (Form 16B) will be available for download from the TRACES website after atleast 2 days of deposit of tax amount at the respective bank.
- The TDS amount as per Form 26QB should be entered in the field 'Basic Tax' (Income Tax) on the Bank's web-portal as TDS certificate (Form 16B) will be based on 'Basic Tax' (Income Tax) only.
- If Date of deduction is greater than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of deduction is less than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of furnishing Form 26QB is beyond prescribed due date, the same may attract late filing fee w/a 234K.

Tax Applicable	0020	Assessment Year	2017-18
Minor Head Code	600	Financial Year	2016-17
Permanent Account No. (PAN) of Transferee (Payer/Buyer)	AAECN8857E	Permanent Account No. (PAN) of Transferor (Payee/Seller)	AAAJ00103A
Full Name of the Transferee	N.G.K. INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED	Full Name of the Transferor	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Category of Transferee on the basis of PAN	Company	Category of Transferor on the basis of PAN	Artificial Juridical Person
Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN	Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN

Complete Address of the Property Transferee

Name of premises/Building/Village: BARILI KHALILABAD
 Flat/Door/Block No.: SECTOR 11 B VRINDAVAN VDI
 Road/Street/Lane: RAJ BAREILLY ROAD
 City/District: LUCKNOW
 State: UTTAR PRADESH
 Pin Code: 226024
 Email ID: AD.VISHVAJEET.LK@GMAIL.COM
 Mobile No.: 9838759338

Complete Address of the Property Transferor

Name of premises/Building/Village: UP AWAS AWAM VIKAS PARISHAD
 Flat/Door/Block No.: OFFICE COMPLEX
 Road/Street/Lane: VRINDAVAN YOLANA
 City/District: LUCKNOW
 State: UTTAR PRADESH
 Pin Code: 226024
 Email ID:
 Mobile No.:

Date of Agreement/Booking: 29/03/2016
 Date of Payment/Credit: 21/07/2016
 Date of Tax Deduction: 21/07/2016

Whether more than one Transferee/Buyer: No
 Whether more than one Transferor/Seller: No
 Payment Type: Installments

Complete Address of the Property Transferred

Type of Property: Land
 Name of premises/Building/Village: SECTOR 16 / COM 11
 Flat/Door/Block No.:
 Road/Street/Lane: VRINDAVAN YOLANA
 City/District: LUCKNOW
 State: UTTAR PRADESH
 Pin Code: 226024

Tax Deposit Details

Rate (in %): 1
 Total Amount Paid/Credited: 2915800
 TDS Amount to be paid: 29158
 Interest: 3645
 Fee: 0
 Total payment: 32403.00
 Value in words: Thirty Two Thousand Eight Hundred Three Rupees and paise

Total Value of Consideration (Property Value): 2915800
 Mode of Payment: Online
 Bank Name: ICICI Bank

सम्पत्ति प्रबंधक

वृन्दावन योजना, लखनऊ

This Acknowledgement is only for the information regarding TDS on Sale of Property submitted in the Information Network (TIN). This cannot be used as proof of payment of taxes.

Spura Deep Singh
 आवंटित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
व्यवसायिक भूखण्ड के लिए किराया-किस्त कय किरायेदारी का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 01 माह फरवरी दो हजार 17 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपरचात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिनी भी है।

माध्यम से होता है। एक पक्ष और मैसर्स एन0जी0के0 इन्फ्रावेन्चर्स प्रा0लि0 निवासी-एन0जी0के0 इन्फ्रावेन्चर्स प्रा0लि0 209/21ए, चंडीगढ़ की आर से श्री गौरव दीप सिंह जिसे एतदपरचात किराया-किस्त कंता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतदपरचात कथा उपबन्धित अनुमोदित नाम निर्देशिनी और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिनी भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किस्त कय योजना के अधीन किराया किस्त कंता ने स्वामी से किराया किस्त कय योजना के अधीन एक व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतदपरचात निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किस्त कंता को भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूंकि किराया-किस्त कंता ने ₹0 87,54,276.00 (शब्दों में केवल ₹0 सत्तासी लाख चौवन हजार सौ छियत्तर मात्र) का भुगतान प्रथम किस्त के रूप में कर दिया है जिसमें पंजीकरण की जमा बयाना धनराशि एवं उस पर अर्जित ब्याज सम्मिलित है। इस धनराशि में से किराया किस्त कंता ने प्रदेशन पत्र के अनुसार 1% धनराशि काट कर आयकर विभाग में परिषद के पैर खाता सं0 AAAJU0103A में जमा कराकर फार्म 26 Q.B प्रस्तुत किया है।

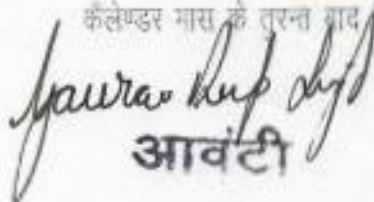
उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं0 16/COM-13 का कुल मूल्य ₹0 2,91,80,918.00 (₹0 दो करोड़ इक्यान्ने लाख अस्सी हजार नौ सौ अट्ठारह मात्र) जिसका आधा ₹0 1,45,90,459.00 (₹0 एक करोड़ पैतालीस लाख नब्बे हजार चार सौ उन्सठ मात्र) होता है। आवंटी द्वारा यदि किस्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसमें नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा।

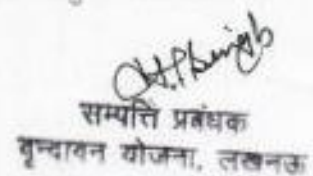
अब यह दिलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतदद्वारा किराया-किस्त कंता से प्रसविदा करता है और सहमत है और किराया-किस्त भी एतदद्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसविदा करता है और सहमत है अर्थात्।

1. किराया-किस्त कंता को व्यवसायिक भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का, जिसकी संख्या 16/COM-13 है और जो वृन्दावन योजना संख्या-4 सेक्टर संख्या- 16 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आने वाली अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

2. किराया-किस्त कंता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 72 (मासिक) को एक नियत अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार सोलह के नवम्बर-16 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2022 के अक्टूबर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी:-

(क) किराया-किस्त-कंता ₹0 4,32,024.00 केवल (₹0 चार लाख बत्तीस हजार चौबीस मात्र) की मासिक किस्त को किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी माह में जिसमें मासिक किस्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया-किस्त कंता द्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह नवम्बर-16 की प्रथम किस्त के रूप में समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष 2016 के माह के दिसम्बर-16 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेंडर मास के तुरन्त बाद किराया-किस्त कय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।


आवंटी


सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

कमरा 2 पर

ख. किराया-किश्त को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहणकी धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरणद्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये परदी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-कंता-स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा। परन्तु किराया-किश्त कंता की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

ग. किराया-किश्त कंता उक्त सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्सारण, विजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिस पद के अन्तर्गत सामान्य, और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करायेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

घ. किराया-किश्त कंता ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य व्यवसायिक भूखण्डों के अध्यासियों की या पड़ोसियों की राय में लोक कण्टक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

ड. किराया-किश्त कंता एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किश्त कंता के खर्च पर कर वा सकता है और किराया-किश्त कंता एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

च. किराया किश्त कंता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मचारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप - लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हों।

छ. किराया-किश्त कंता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा। परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

ज. किराया-किश्त कंता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

झ. किराया-किश्त कंता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

Jai Ram Singh
आवंटी

कमरा: 3 पर

Chellam
सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

अ.किराया-किश्त कंता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों, से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तियाँ उठें या दावे प्रस्तुत किये जायें।

ट.किराया किश्त कंता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेंगे और जिसके बारे में इस अनुबन्ध-पत्र के पक्षकारों के बीच एतदद्वारा सहमति है।

ठ.उक्त सम्पत्ति में किराया-किश्त कंता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किश्त कंता एतदद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है।

ड.किराया-किश्त कंता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुँचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है। परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया-किश्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड, उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर, उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में किराया-किश्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अतिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

ढ. किराया-किश्त कंता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिनी को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तर्गुह्य करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किश्त कंता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तर्गुह्य करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त कंता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त कंता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है परन्तु किराया-किश्त कंता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया-किश्त कंता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

ण.किराया-किश्त कंता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगतान के लिये उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किश्त कंता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और कंता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया-किश्त का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रक्रिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

त.यदि किराया-किश्त कंता सम्पत्ति या साझा भावा या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुँचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया-किश्त कंता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा।

थ.यदि किराया-किश्त कंता किराया-किश्त कृय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतदद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किश्त कंता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

Spuraw Deep Singh
आवंटी

APB
सम्पत्ति प्रबंधक
चुम्बावन योजना, लखनऊ

कमश: 4 पर

दइसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा, किराया-किश्त-कंता द्वारा ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किश्त कंता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। और किराया-किश्त कंता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को सम्पहरण हो जायेगा।

घ.स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया-किश्त कंता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विघ्न या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा। इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्वारा किराया-किश्त कंता के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकार में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात विनिश्चय किया जाए, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमति है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

न.उक्त भूखण्ड का किराया-किश्त कंता एतद्वारा आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा। किराया-किश्त कंता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा।

3.स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त कंता को किराया-किश्त कंता की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देवों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किश्त कंता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4.हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया-किश्त कंता की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया-किश्त कंता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया-किश्त कंता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण-विलेख निष्पादित करेगा।

5.यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगा और किराया-किश्त कंता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

अनुसूची- 1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड-31 के सभी व्यवसायिक भूखण्ड जिसकी संख्या 16/COM-13 एवं भूमि का क्षेत्रफल 739.60 वर्गमी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है:-

सम्पत्तिसं० श्रेणी 16/COM-13 व्यवसायिक भूखण्ड

सीमाएँ:-उत्तर- 9.00 मी० चौड़ी सड़क

दक्षिण- व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-12

पूर्व- व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-14

पश्चिम- 18.00 मी० चौड़ी सड़क

क्षेत्रफल 739.60 वर्ग मीटर

उत्तर- 21.50 मीटर

दक्षिण- 21.50 मीटर

पूर्व- 34.40 मीटर

पश्चिम- 34.40 मीटर

इस व्यवसायिक भूखण्ड के किराया किश्त कंता अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री हेतम पाल सिंह, सम्पत्ति प्रबन्धक ने तथा मैसर्स एन०जी०के० इन्फ्रावेन्चर्स प्रा०लि० की ओर से श्री गौरव दीप सिंह आशयिता व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-13 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये हैं।

Signature
आवंटी

Signature
सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

कमरा: 5 पर

29,180,918.00 विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा) 8,754,276.00 20,000.00 60 20,060.00 14

प्रतिफल मालिफत अग्रिम धनराशि फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क खेम पृष्ठों की संख्या
श्री मे, एन0जी0 के0 इन्फ्रा, प्रा0 लि0 द्वा. गौरवदीप सिंह
पुत्र श्री
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी 219/21 ए चडीगढ
अस्थायी पत्ता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/2/2017 समय 1:22PM
उजे निबन्धन हेतु पेश किया।

Jaurav Deep Singh

Jaurav Deep Singh



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.वी.सिंह
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ
3/2/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद मुकदमे व समझौते मसमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता केना

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ0 प्र0 आ0 वि0 प0 द्वारा हेतम पाल सिंह सं0 प्र0 आ0 ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री मे, एन0जी0 के0 इन्फ्रा, प्रा0 लि0 द्वा. गौरवदीप सिंह
पुत्र श्री
पेशा व्यापार
निवासी 219/21 ए चडीगढ

Jaurav Deep Singh



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान उमेश प्रताप सिंह
रव0 समर बहादुर सिंह

Umesh Pratap Singh

पेशा व्यापार

निवासी ए-38/24 सुलभ आवास से-1 गोमती नगर विस्तार

व गुलाम मोहम्मद योजना सह0 आ0 वि0 प0

पेशा नौकरी

निवासी

ने की।

प्रत्यक्ष मद्र साक्षियों के विधान अंगूठे निष्पानुसार लिये गये हैं।



Umesh Pratap Singh

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस.वी.सिंह
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ
3/2/2017

(5)

अनुसूची-2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-
स्थान लखनऊ
दिनांक

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर : Nandkaur

2-नाम : NAGINDER KAHLOON

3-पता : HNo 209 Sector 21A
CHANDGARH



द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर : [Signature]

2-नाम : उमेश जताप सिंह

3-पता : A 38/24, सुलभ आवास, सेक्टर-1
जोमती-11 (विस्तार लखनऊ)

प्रथम साक्षी

1-हस्ताक्षर : [Signature]

2-नाम : कि०एन० शुक्ला

3-पता : कनिष्ठ सहायक

द्वितीय साक्षी

1-हस्ताक्षर : [Signature]

2-नाम :

3-पता :

किराया किश्त कंटा का
(सुपाद्य हस्ताक्षर और पता)

हस्ताक्षर:-

2-नाम मैसर्स/एन०जी०के० इन्फोवेन्चर्स प्रा०लि०
निवासी-एन०जी०के० इन्फोवेन्चर्स प्रा०लि०
209/21ए, चंडीगढ़ की ओर से री गौरव दीप सिंह

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

वृन्दावन योजना, लखनऊ

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया-किश्त कंटा पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके फ्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) किराया-किश्त कंटा अपने फ्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
- (3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराये बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
- (4) स्नानघर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावे।
- (5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया-किश्त कंटा के फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारों या रास्तों में नहीं रखा जायेगा।
- (6) भूखण्ड के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।



क्रमशः 6 पर

[Signature]
[Signature]
[Signature]

प्रेता

Registration No. : 1269

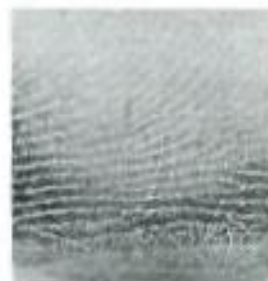
Year : 2017

Book No. : 1

0201 मे, एन0जी0 के0 इन्फ्रा, प्रा0 लि0 द्वा, गौरवदीप सिंह

219/21 ए चडीगढ़

व्यापार



(7) किराया-किस्त कंटा के फ्लैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।

(8) फ्लैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।

(9) भूखण्ड के किसी भाग में एक दुधारू गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।

(10) प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।

(11) प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।

(12) सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियाँ, चबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

(13) परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्बाध आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(14) उपर्युक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किस्त कंटा के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(15) व्यवसायिक भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हों, मान्य होंगी।

नोट- (1) अतः शासनादेश सं० वि० क० नि० 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या- 772/स्टाम्प लिपिक-2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 7% की दर से ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP02782226953692P दिनांक 09/01/2017 द्वारा रु० 20,42,700.00 के प्रमाण पत्र पर किस्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

नोट- (2) उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धक अनुभाग-5 सं० नि० क० नि० 5-3757/11-2010-500(100)-2008 दिनांक 16-11-2011 द्वारा किस्त किरायेदारी अनुबन्ध परिषद दर पर निष्पादित किया जा रहा है।

नोट- (2) उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-13, का मांग पत्र संख्या 201 दिनांक 13.01.2017 को निर्गत के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, आदेश संख्या- 13/संख्या-क० नि०-7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30, मार्च, 2015 के शासनादेश अनुसार किराया-किस्त क्रय किरायेदारी अनुबन्ध एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर:-

नाम

मैसर्स एन० जी० के० इन्फोवेन्चर्स प्रा० लि०

निवासी-एन० जी० के० इन्फोवेन्चर्स प्रा० लि० 209/21ए, चंडीगढ़

की ओर से श्री गौरव दीप सिंह

(हेतम पाल सिंह)

सम्पत्ति प्रबन्धक
सम्पत्ति प्रबंधक

सुन्दरान योजना, लखनऊ

गवाह

Registration No.: 1269

Year: 2017

Book No.: 1

W1 समेष्ट प्रताप सिंह

स्व० समर बहादुर सिंह

प्ल-38/24 सुलभ आवास से-1 गौमती नगर विस्तार लखनऊ

व्यापार



W2 गुलाम मोहम्मद योजना सहा० आ० वि० प०

नीकरी



IS 15700:2005

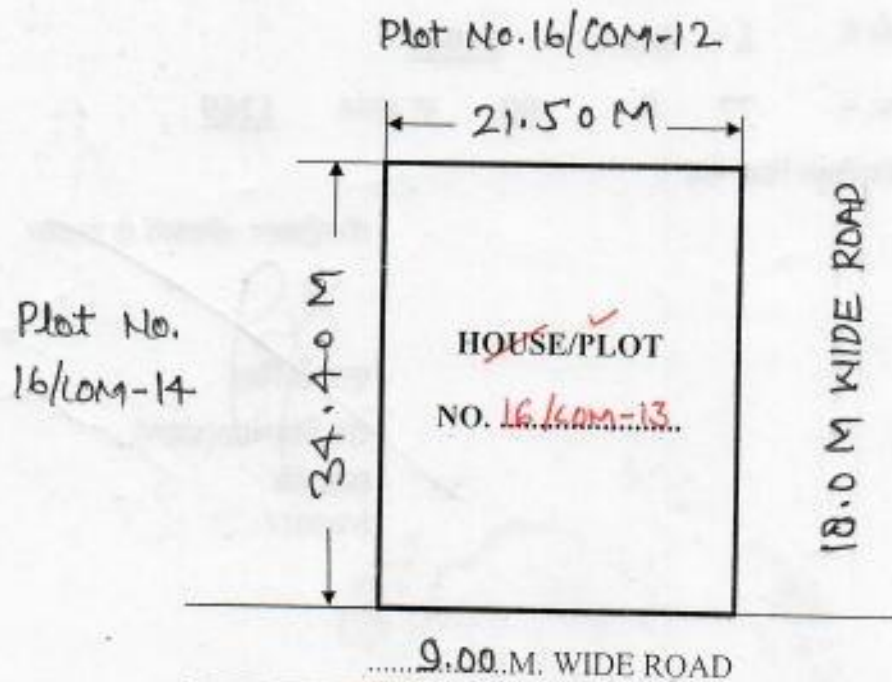


सर्वोत्तम प्रशासित

Office of The Executive Engineer
Construction Div.-31,
U.P.Housing & Development Board
Office Complex, Sec.9A, Vrindavan Yojna,
Lucknow

भारतीय मानक चिह्न

IS 15700

SITE PLAN OF HOUSE/PLOT NO. 16/COM-13AT SECTOR- 16 VRINDAVAN YOJNA NO. 274, LUCKNOWOWNER SRL/SMT. मैसर्स एन.जी.के. इंफ्रावेन्चर्स प्रा. लि.द्वारा श्री नागेन्द्र लहरो,PLOT SIZE 21.50 M x 34.40 MTOTAL PLOT AREA- 739.60 Sqm.

9/12/16
D/MAN

9/12/16
J.E.

24/12/16
A.E.

Nagendra Kaulon
ALLOTEE

9/12/16
सहायक अभियंता
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, लखनऊ

आज दिनांक 03/02/2017 को
बही सं. 1 जिल्द सं. 21941
पृष्ठ सं. 77 से 90 पर कर्मांक 1269
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


एस.बी. सिंह
उप निबन्धक(प्रथम)
लखनऊ
3/2/2017





आर्द्र एवं औ प्रमाणित संख्या

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या... ५०९.....

/सं०प्र० वृन्दावन योजना

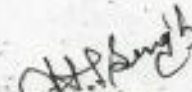
दिनांक ०१/११/१७

भेतर एन. जी. के. इन्फोटेक्नोलॉजी
पिबली - एन. जी. के. इन्फोटेक्नोलॉजी लि. २०७/२१ए
- वसीगढ़

विषय : भवन/भूखण्ड संख्या 16/COM-13 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित भवन/भूखण्ड संख्या 16/COM-13 का विक्रय विलेख/किराया क्रय विलेख रु० २०,५२,७०० के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि मूल रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिनों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भवन/भूखण्ड का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा परिवर्तन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार


सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन आवास आनुवर्तक

पृ० सं०

/उक्त/

तद् दिनांक

प्रतिलिपि : सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन आवास आनुवर्तक

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्राप्ति द्वारा रखा जाने वाला।

उप निदेशक(प्रथम)

कम सं० 3176

लखनऊ

लेख या फार्म पर प्रस्तुत करने का दिनांक 03-Feb-2017

प्रस्तुतकर्ता या प्राप्त कर नाम मे.एन.जी.के.इन्फ्रा, प्रा० लि० झा.नौरवदीप सिंह

लेख का प्रकार विक्रय अनुबंध विलेख (कच्चा)

प्रतिफल के धनराशि 29,180,178. / 0.00

1. निवृत्तिभरण शुल्क 20,000.0

2. प्रतिनिधित्व शुल्क 60

3. निरीक्षण या तलाश शुल्क

4. पुनरावस्था के अधिप्राप्ति करण के लिए शुल्क

5. कमीशन शुल्क

6. विविध

7. यात्रिक भत्ता

1 मे 6 तक का योग 20,060.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 03-Feb-2017

दिनांक जब लेख प्रिलिम्पि या तलाश प्रमाण पर

वापस करने के लिए हैकार किया 03-Feb-2017

संविन-रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

anr
1268